

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक: एफ 27()ग्राविवि/ग्रुप-5/PMAY/किया.समिति/2016 जयपुर, दिनांक 9 फरवरी, 2017


-: आदेश 2017/30:-

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश (फ्रेमवर्क) की पालना में योजना के जिला स्तर पर क्रियान्वयन एवं निगरानी एवं समन्वयन हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय समिति का गठन एतद् द्वारा किया जाता है।

1	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2	जिला आयोजना अधिकारी	सदस्य
3	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
4	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा	सदस्य
5	जिले में स्थिति पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र आचार्य/जिले के मनोनीत एनजीओ	सदस्य
6	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य सचिव

यह समिति प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत स्वीकृत मकानों को समय पर पूरा करने के लिए रोडमैप एवं अन्य योजना के साथ ताल-मेल, योजना की सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करना, प्रगति की समीक्षा आदि समस्त उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी।


इस समिति का प्रशासनिक विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (ग्रामीण विकास) होगा।


(सुदर्शन सेठी) 9.2.2017
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
10. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंरावि।
11. निजी सचिव, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर।
12. निजी सचिव, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, जयपुर।
13. अध्यक्ष राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, जयपुर।
14. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
15. परियोजना निदेशक एवं उपसचिव (मो.एवं.मू) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत।
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
17. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
18. आचार्य पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, समस्त राजस्थान।
19. जिला आयोजना अधिकारी, समस्त राजस्थान।
20. रक्षित पत्रावली।

P.D. CUM DS M.G.E. to V.K.S. 13/2
4/2/2017


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)